संख्या-40/2018/3484/77-3-2018-158(एम)/18

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 07 दिसम्बर, 2018

विषयः- उ0प्र0 में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4208/यूपीडा/डिफे0कारि0/18/961, दिनांक 25.11.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः-

01. डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना के लिए लैण्ड बैंक हेतु 06 नोड्स यथा झांसी में 3025.348 हे0, चित्रकूट में 500.00 हे0, जालौन में 200.00 हे0, अलीगढ में 100.00 हे0, आगरा में 300.00 हे0 एवं कानपुर में 1000.00 हे0 भूमि चिन्हित की गई है। प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर इन 06 नोड्स में ग्राम समाज एवं विभागीय भूमि का क्रय/पुनर्ग्रहण और जिला चित्रकूट, झांसी एवं जालौन में प्रतिस्थापित अधिनियमों एवं प्रक्रिया के तहत भूमि का अधिग्रहण /क्रय / पुनर्ग्रहण /अन्तरण किया जाए।

02. डिफेन्स कॉरिडोर के कार्यो के लिए उच्च गुणवत्ता तथा कम लागत पर रक्षा सामग्री प्राप्त करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, जिसके लिए शासन द्वारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को नामित किया जाए।

03. भूमि हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्था हडको से पूर्व में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु ऋण लिया गया है। अतः डिफेन्स कॉरिडोर की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु भारी धनराशि अन्तर्निहित होने के कारण एवं प्रदेश के वित्तीय संसाधनों तथा अन्य लागू की जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं में व्यय की जा रही धनराशि के दृष्टिगत वित्त विभाग की सहमति से हडको से ऋण लिया जाए।

04. डिफेन्स कारिडोर के विकास कार्यों की समयबद्ध ढंग से पूर्ण निगरानी रखने हेतु अवस्थापना विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 890/ 83-अव0-2011-38 (अवस्थापना) / 11,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक 26 अगस्त 2011 के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक इम्पावर्ड कमेटी - डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग प्रमोशन स्टीयरिंग कमेटी का गठन निम्नवत् किया जाए, जिसे सलाह देने के लिए डिफेन्स उद्योग के अनुभवी विशेषज्ञ तथा रक्षा उत्पादों से संबंधित संस्थाएं नॉलेज पार्टनर होंगी :-

1.	**मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन**	**अध्यक्ष**
2.	**अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
3.	**अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
4.	**अपर मुख्य सचिव/प्रमुख साचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
5.	**अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
6.	**प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन**	**सदस्य**
7.	**प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन**	**संयोजक**
8.	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा**	**सदस्य**
9.	**रक्षा मंत्रालय, भारत सारकार द्वारा नामित विशेषज्ञ**	**सलाहाकार**
10.	**डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट आर्गेनाइजेशन द्वारा नामित विशेषज्ञ**	**सलाहाकार**
11.	**एस0आई0डी0एम0 द्वारा नामित विशेषज्ञ**	**सलाहाकार**
12.	**अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत फोर्ज लि0, पुणे**	**सलाहाकार**
13.	**अध्यक्ष की अनुमति से यथावश्यक अन्य तकनीकी विशेषज्ञ**	**सलाहाकार**

उक्त एम्पावर्ड कमेटी का प्रमुख दायित्व डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारिडोर के पर्सपेक्टिव प्लान पर विचारण एवं अन्तिमीकरण (फाइनलाइजेशन) करना होगा।

05. शासनादेश संख्या-2091/77-6-18-एल0सी0-47/18 टीसी दिनांक 04.07.2018 के अनुपालन में डिफेन्स कॉरिडोर के दिन-प्रतिदिन के कार्यो के कुशल संचालन हेतु Special Purpose Vehicle (SPV) का गठन होगा जिसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन भारत सरकार/प्रदेश सरकार की नवीनतम डिफेन्स पॉलिसी एवं गाईडलाईन्स के अनुरूप सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा ।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश है कि कृपया उपरोक्त निर्णयों के अनुपालन में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-40/2018/3484(1)/77-3-2018, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01- गोपन अनुभाग-1 को उनके अशा0 पत्र संख्या-4/2/41/2018-सी0एक्स0 (1) दिनांक 04.12.2018 के संदर्भ में।

02- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

03- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।